न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2019

सदाम हूसैन मंसूरी वार्ड नं0 20 मान दरवाजा देशवाली मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपूरा, जिला टोक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 30—10—2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को दिनांक 21—08—2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1—ग्राम पंचायत तिलांजू मे खसरा संख्या 4/12 एवंम खाता संख्या 198 जहरूदीन पुत्र रहमान खॉं के अलाटमेंट सुपूर्द नामे दिनांक 24—01—1983 की सत्य प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे

2— ग्राम पंचायत तिलांजू तहसील मालपूरा खसरा संख्या 4/12 एवंम खाता संख्या 198 जहूरूदीन पुत्र रहमान खॉं के दिनांक 24—01—1983 के अलाटमेंट आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने उनके पत्र कमांक 3103 दिनांक 17—10—2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना पत्र कमांक 3029 दिनांक 14—10—2019 से आवेदक को भिजवादी गई है जिसकी प्रति न्यायालय हाजा में भी प्रेषित की गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested